संख्याः-2322/1/2005-05/44/05

प्रेषक,

डा0 एम0सी0 जोशी
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

वित्त अधिकारी
इरला चैक अनुभाग,
उत्तरांचल शासन।

ऊर्जा विभाग, देहरादूनः दिनांकः 8, जून, 2005

विषयः– वित्तीय वर्ष 2005–2006 के लिये आयोजनेत्तर पक्ष में ऊर्जा विभाग, उत्तरांचल शासन के अधीन गठित विशेषज्ञ सैल हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 2313/1/2005-05/44/05 दिनांक 20.05.2005 एवं आपके पत्र संख्या 08/I/III/05-लेखा/11/2005 दिनांक 21.05.2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऊर्जा विभाग, उत्तरांचल शासन के अधीन गठित विशेषज्ञ सैल हेतु संलग्नक में उल्लिखित मदों में रु0 15,50,000 (रु0 पन्द्रह लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि निम्न शर्तो के अधीन व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– उक्त स्वीकृति के अधीन आहरण एवं व्यय से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका, बजट मैनुअल व अन्य मितव्ययता संबंधी शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेश, टैण्डर/कुटेशन विषयक नियम अथवा डी0जी0एस0 एण्ड डी0 की दरों एवं अन्य तद्विषयक आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र विचलन कदापि न किया जाये, नियमों का अनुपालन न करने तथा स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र विचलन करने पर सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

3– व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस हेतु यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

4– स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय की प्रतिमाह सूचना निर्धारित प्रपत्रों पर वित्त विभाग, महालेखाकार एवं शासन को ससमय उपलब्ध करायी जाय।

5– उपकरण एवं संयंत्र के क्रय करने से पूर्व शासन की अनुमति प्राप्त कर ली जावे।

6– वित्तीय वर्ष 2005–06 में इसके पूर्ववर्ती वर्षो के एरियर भुगतान यदि कोई हों, के विवरण की सूचना ऊर्जा सैल द्वारा अलग से रखी जावेगी।

7– कम्प्यूटर आदि का क्रय हेतु एन0आई0सी0/आई0टी0 विभाग के दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

8– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2006 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।

9– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक के अनुदान सं0 21 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2801–बिजली–05–पारेषण एवं वितरण–आयोजनेत्तर–800–अन्य व्यय–03–ऊर्जा विकास निधि का प्रबन्धन–00–के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

C

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 447/XXVII-3/2005 दिनांक 01 जून, 2005 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव

**संख्या:२३८८/I/2005-05/44/05,तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।

2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।

3- वित्त अनुभाग-3

4- विशेषज्ञ सलाहकार, विशेषज्ञ सैल, ऊर्जा, उत्तरांचल शासन।

5- प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।

6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव

शासनादेश संख्या-2322 I/2005-05/44/05, दिनांक: 8 ,जून, 2005 का संलग्नक

लेखाशीर्षक 2801–बिजली–05–पारेषण एवं वितरण–आयोजनेत्तर –800–अन्य व्यय–03–ऊर्जा विकास निधि का प्रबन्धन–00

| मानक कोड | मद का नाम | धनराशि (रू0 हजार में) |
|---|---|---|
| 11–लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई | | 100 |
| 12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | | 100 |
| 16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान | | 800 |
| 26–मशीने और सज्जा/उपकरण और संयत्र | | 150 |
| 46–कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर का क्रय | | 300 |
| 47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय | | 100 |
| | योगः– | 1550 |

(रू0 पन्द्रह लाख पचास हजार मात्र)

(डा0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव